पत्रांक–AIE/EFE/108/2013-14/......4577

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग बिहार पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)

पटना, दिनांक :.10/7/19.........

विषयः– मूलभूत सुविधाविहीन विद्यालयों के सुचारू संचालन हेतु नजदीक के विद्यालयो में Shift करने के संबंध में।

प्रसंगः– पत्रांक–186/C दिनांक–19.07.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का सन्दर्भ लें, जिसके माध्यम से मूलभूत सुविधाविहीन विद्यालयों के संचालन के संबंध में निदेश दिया गया है। परन्तु विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य स्त्रोतों से जानकारी मिल रही है कि अभी भी कुछ विद्यालय खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, में संचालित किये जा रहे हैं। समान्यता इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन भी नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विद्यालय भी है, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक जीर्ण–शीर्ण भवनों में संचालित हो रहे हैं।

2. ऐसे में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए–

i. सुविधाविहीन/भवनहीन विद्यालय को नजदीक के विद्यालय में shift कर दिया जाए, जहाँ कमरे, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था हो तथा मध्याह्न भोजन योजना संचालित होती हो।
ii. जीर्ण–शीर्ण विद्यालय, जहाँ विद्यालय संचालन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हैं, को नजदीक के विद्यालयों में shift किया जाए।
iii. सभी संकुल समन्वयक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें कि उनके क्षेत्राधीन ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है जो खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन एवं जीर्ण–शीर्ण भवनों में संचालित हो रहे हैं।

आपको निदेशित किया जाता है कि 31.07.2019 तक आप अपने जिले के ऐसे सभी विद्यालयों को निकट के विद्यालय में shift करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि इसके बाद भी ऐसी स्थिति पाई जाती है अथवा इस तरह की सूचनाएँ प्राप्त होती हैं तो ऐसे में विद्यालय/संकुल से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,
5/7/19
(आर०के०महाजन)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग बिहार पटना।

Sushil kumar Official OSD Letter-2019 - II E